

परिपत्र-13

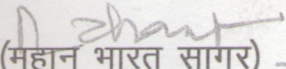
कमॉक 364 / निस / डीजी / 2018

भोपाल, दिनांक 31 मार्च, 2018

होमगार्ड, नागरिक सुरक्षा तथा राज्य आपदा आपातकालीन मोचन बल में शासन स्तर से किये जाने वाले पत्राचार, विभागीय स्तर पर किये जाने वाले पत्राचार तथा अन्य विभागों से किये जाने वाले पत्राचार के संबंध में कार्यवाही निर्धारित समयावधि में पूर्ण हो, इसके लिये समय-समय पर लंबित पत्रों/कार्यवाही की समीक्षा की जाना आवश्यक है।

भोपाल मुख्यालय के होमगार्ड, तथा एसडीईआरएफ के प्रभारी अधिकारियों को निर्देशित किया जाता है कि, प्रत्येक सप्ताह के प्रति सोमवार को प्रातः 11:00 बजे मेरे कक्ष में समय-सीमा बैठक (Time limit meeting- TL) आयोजित की जावेगी, जिसमें लंबित पत्रों/कार्यवाही तथा अन्य महत्वपूर्ण विषयों पर समीक्षा की जावेगी।

होमगार्ड विभाग के समस्त सम्भागीय कार्यालयों पर इसी प्रकार प्रत्येक माह के प्रथम सप्ताह के सोमवार को सम्भाग के जिलों की समय-सीमा बैठक (Time limit meeting- TL) आयोजित की जावे, जिसमें डिवीजनल कमाण्डेन्ट द्वारा सम्भाग के जिलों की लंबित पत्रों/कार्यवाही की समीक्षा की जावे। इसी प्रकार होमगार्ड मुख्यालय जबलपुर में भी प्रत्येक सप्ताह के प्रति सोमवार को समय-सीमा बैठक (Time limit meeting- TL) आयोजित की जावे, जिसमें लंबित पत्रों/कार्यवाही की समीक्षा की जावे।


(महान भारत सागर) 31.3.18

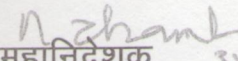
महानिदेशक,
होमगार्ड, नागरिक सुरक्षा एवं
आपदा प्रबन्धन, मध्यप्रदेश

पृ० कमॉक 365 / निस / डीजी / 2018

भोपाल, दिनांक 31 मार्च, 2018

प्रतिलिपि:

- 1- एडीशनल डायरेक्टर जनरल, आपदा प्रबन्धन, मध्यप्रदेश भोपाल।
 - 2- पुलिस महानिरीक्षक, होमगार्ड, म०प्र० जबलपुर।
 - 3- एडीशनल कमाण्डेन्ट जनरल, होमगार्ड म०प्र० जबलपुर।
 - 4- उप महानिरीक्षक, आपदा प्रबन्धन, भोपाल, मध्यप्रदेश।
 - 5- समस्त डिवीजनल कमाण्डेन्ट, होमगार्ड/ आपदा प्रबन्धन, मध्यप्रदेश।
 - 6- समस्त डिस्ट्रिक्ट कमाण्डेन्ट, होमगार्ड/ आपदा प्रबन्धन, मध्यप्रदेश।
- की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।


महानिदेशक, 31.3.18
होमगार्ड, नागरिक सुरक्षा एवं
आपदा प्रबन्धन, मध्यप्रदेश